"लघुऋण सम्बन्धी सरकारी नीतियों में गरीब महिलाओं की पहल"

डॉ० शिव कुमार

लघुऋण कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अधिकतर विकासशील और गरीब देशों में बड़ी तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर जबसे ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश के संस्थापक नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस ने यह साबित कर दिया कि लघुवित्त ऋण देने वाले और लेने वाले दोनों ही के लिये लाभदायक हैं तबसे न सिर्फ लघुवित्त ऋण संस्थान बल्कि बड़े–बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंक तथा सरकारें भी बढ़–चढ़कर लघुऋण वितरण कार्य कर रही हैं।

लघुऋण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सदस्यों में 80–85 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ काम करना कोई घटना मात्र नहीं है, इसके पीछे निश्चित कारण व तर्क हैं। 90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि कुल अत्यधिक गरीब जन्संख्या में 60–65 प्रतिशत महिलाएं हैं अर्थात् गरीबी का असली चेहरा एक महिला का है। स्वसहायता समूह और लघुऋण वह हकीकत है जिससे ऑख नहीं चुराई जा सकती है तो उनसे जुड़ने वाली महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति उससे भी बडी हकीकत। महिलाओं को इन समूहों के केन्द्र में रखकर गरीबी उन्मूलन के लिये लंबे समय तक यंत्र की भांति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अतः यदि स्वसहायता समूहों को महिला सशक्तीकरण का वास्तविक माध्यम बनाना है व महिलाओं को इससे लंबे समय के लिये जोड़े रखना है तो इन समूहों में शिक्षा, साक्षरता व क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। तभी यह समूह सही मायनों में इससे जुड़ने वाली सभी महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन का जरिया बन सकते हैं ।